

| | | |
|--------------------|---|--|
| <p>तारीख हुक्म</p> | <p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p>जगदीश मंगरोला बनाम लो.सू.अ. (जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी)</p> <p>सू.अ.अ. अपील संख्या 67/2020</p> | <p>नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p> |
| <p>22.06..20</p> | <p>दिनांक 23.03.2020 से दिनांक 31.05.20 तक लोकडाउन घोषित रहा। संक्षिप्त में अपील इस प्रकार है कि अपीलार्थी जगदीश मंगरोला पुत्र छोटूराम, पता बड़गांव तहसील मेड़तासिटी जिला नागौर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 20.03..20 में उसके द्वारा (1) जिला अल्पसंख्यक कार्यालय जोधपुर में spps portal के अनुसार 06 मार्च 2020 को वाहन एवं कम्प्यूटर निविदा खोली गई दोनों निविदा के कमेटी कार्यवाही त्रिवरण व कार्य आदेश की प्रमाणित प्रति व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे ब्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष (जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जोधपुर) से, तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थीपक्ष अनुपस्थित।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.(जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जोधपुर) से आज दिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बारे में प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p> | |